रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24072020-220667
CG-DL-E-24072020-220667

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 280] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 24, 2020/श्रावण 2, 1942
No. 280] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 24, 2020/SRAVANA 2, 1942

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग

सूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2020

फा. सं. ए-105/ सी.सी.पी.आर./एन.सी.डी.आर.सी./2020.—राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, केंद्रीय सरकार के पूर्ववर्ती अनुमोदन से, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35) की धारा 103 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उपभोक्ता संरक्षण विनियम, 2005 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित विनियम बनाता हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ -** (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता संरक्षण (उपभोक्ता आयोग की प्रक्रिया) विनियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं –** इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "अधिनियम" से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35) अभिप्रेत है;

(ख) "अभिकर्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे किसी पक्षकार द्वारा उस पक्षकार के लिए और उसकी ओर से उपभोक्ता आयोग के समक्ष यथास्थिति कोई शिकायत, अपील, पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करने अथवा कोई लिखित पाठ फाइल करने अथवा कोई लिखित अनुरोध और संबोधन अथवा अभिवचन करने के लिए सम्भवत: प्राधिकृत किया गया है;

(ग) "उपभोक्ता आयोग" से कोई जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, कोई राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अथवा राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अभिप्रेत है;

(घ) "रजिस्ट्रार" से उपभोक्ता आयोग के अननुसचिवीय स्थापन का प्रधान अभिप्रेत है और जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा कृत्यों का पालन करेगा जो उसे उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष द्वारा प्रदत्त किए जाते है;

(ङ) "नियमों" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम अभिप्रेत हैं;

(च) 'धारा' से अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है;

(छ) उन शब्दों और पदों जो इन विनियमों में प्रयुक्त हैं और इसमें परिभाषित नहीं हैं परंतु इन्हें या तो अधिनियम अथवा नियमों में परिभाषित किया गया है, का अर्थ वही होगा जो यथास्थिति अधिनियम अथवा नियमों में उनका है।

3. **उपभोक्ता आयोग की व्यवस्था** — (1) किसी उपभोक्ता आयोग, जो एक नियमित न्यायालय नहीं है, की व्यवस्था इस प्रकार होगी ताकि वह किसी न्यायालय से सुभिन्न प्रकट हो सके।

(2) वह हॉल, जिसमें उपभोक्ता आयोग पक्षकारों को सुनेगा, में मंच (डाईस) को पक्षकारों के बैठने के लिए निश्चित किए गए स्थान से 30 सेंटीमीटर से अधिक ऊंचाई पर नहीं रखा जा सकेगा।

(3) कक्ष के मंच (डाईस) पर, उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष और सदस्य समान स्तर पर समान प्रकार की कुर्सियों का उपयोग करेंगे तथा इन कुर्सियों के पश्चभाग ऊंचा होना आवश्यक नहीं है।

(4) शिकायतकर्ता और विरोधीपक्षकार व्यक्तिगत रूप से अथवा अभिकर्ता के माध्यम से अथवा काउंसेल के माध्यम से उपस्थित हो सकते हैं।

4. **ड्रेस कोड -** (1) प्रत्येक उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष और सदस्य पीठों की अध्यक्षता करते समय,-

(क) साधारण और सादे वस्त्र पहनेंगे;

(ख) निम्नलिखित नहीं पहनेंगे-

(i) भड़कीले वस्त्र अथवा ऐसे वस्त्र जिनसे कोई संपन्नता प्रदर्शित होती हो;

(ii) जीन्स या टी-शर्ट;

(iii) ऐसे वस्त्र, जो उच्च न्यायालय अथवा जिला न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए विहित किए गए हो।

(2) शिकायतकर्ता, विरोधीपक्षकार, काउंसेल अथवा अभिकर्ता भी उप-विनियम (1) के खंड (क) और खंड (ख) के उप-खंड (i) और (ii) के अनुसार ड्रेस कोड का पालन करेंगे।

5. **सुनवाई का समय –** इस निमित्त में बनाए गए किन्ही नियमों के उपबंधों के अध्यधीन, सुनवाई के मामलों के लिए उपभोक्ता आयोग का सामान्य कार्य समय राष्ट्रीय आयोग के मामले में केंद्रीय सरकार के सभी कार्यदिवसों में और राज्य आयोग एवं जिला आयोग के मामले में राज्य सरकार के सभी कार्यदिवसों में पूर्वाह्न 10.30 बजे से अपराह्न 1.00 बजे तथा अपराह्न 2.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक होगा।

6. **मामला सूची-** (1) आगामी सम्पूर्ण सप्ताह के लिए उपभोक्ता आयोग द्वारा सुने जाने वाले मामलों की अनंतिम मामला सूची को पूर्ववर्ती सप्ताह का कार्य समय समाप्त होने से पहले तैयार किया जाएगा और सूचना पटल पर प्रदर्शित किया जाएगा तथा उपभोक्ता आयोग की वेबसाइट पर भी डाला जाएगा।

(2) आगामी दिन को सुने जाने वाले मामलों की अंतिम मामला सूची को पूर्ववर्ती दिन का कार्य समय समाप्त होने से पहले तैयार किया जाएगा और सूचना पटल पर प्रदर्शित किया जाएगा तथा वेबसाइट पर भी डाला जाएगा।

(3) मामला सूची को विभिन्न ऐसे भागों में बांटा जाएगा जो राष्ट्रीय आयोग के माननीय अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर विनिश्चित किए जाएं।

(4) प्रत्येक मामला सूची में निम्नलिखित विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी; अर्थात्:-

(i) क्रम संख्या;

(ii) मामलों की संख्या;

(iii) पक्षकारों का नाम;

(iv) उपस्थित होने वाले पक्षकार अथवा काउंसेल अथवा अभिकर्ता का नाम।

(5) यदि सुनवाई की कोई तारीख पक्षकारों अथवा उनके अभिकर्ताओं की उपस्थिति में दी जाती है, तो ऐसे कारण के लिए अनुपस्थित रहने के लिए यह आधार नहीं होगा कि संबंधित तारीख के मामला सूची में मामलों को दर्शाया नहीं गया है अथवा इसमें गलत प्रविष्टि अन्तर्विष्ट हैं अथवा इसमें मामले की विशिष्टियों का लोप किया गया है।

7. **शिकायतों, अपीलों और पुनरीक्षण याचिकाओं का संस्थित किया जाना -** (1) जहां कोई शिकायत जिला आयोग में फाइल की जाती है तो इसे विरोधीपक्षकारों की संख्या के बराबर अतिरिक्त प्रतियों के साथ तीन प्रतियों में फाइल किया जाएगा।

(2) जहां कोई शिकायत अथवा अपील अथवा पुनरीक्षण याचिका राज्य आयोग के समक्ष फाइल की जाती है, तो इसे विरोधीपक्षकारों अथवा प्रत्यर्थियों की संख्या के बराबर अतिरिक्त प्रतियों के साथ तीन प्रतियों अथवा राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष के अनुमोदन से, समय-समय पर राज्य आयोग के अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित की गई प्रतियों की संख्या में फाइल किया जाएगा।

(3) जहां कोई शिकायत अथवा अपील अथवा पुनरीक्षण याचिका राष्ट्रीय आयोग के समक्ष फाइल की जाती है तो इसे दो प्रतियों में फाइल किया जाएगा तथा विरोधीपक्षकारों अथवा प्रत्यर्थियों के लिए प्रतियां उस मामले के ग्रहण किए जाने अथवा विरोधीपक्षकारों को नोटिस जारी किए जाने के एक सप्ताह के भीतर फाइल की जाएंगी।

(4) प्रत्येक शिकायत में विवाद और दावाकृत अनुतोष की विशिष्टियां स्पष्ट रूप से अन्तर्विष्ट की जाएंगी और इसके साथ शिकायत में किए गए दावों को साबित करने के लिए यथा आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां भी संलग्न की जाएंगी।

8. **शिकायतों, अपीलों आदि की नामावली –** किसी शिकायत को उपभोक्ता शिकायत अथवा उ.शि., के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा अपील को प्रथम अपील अथवा प्र.अ., पुनरीक्षण याचिका को पु.या., कार्यान्वयन आवेदन को का.आ., कार्यान्वयन मामलों में अपील को अ.का., अन्तरण आवेदन को अ.आ., पुनर्विलोकन आवेदन को पु.आ., अंतरिम आवेदन को अं.आ. और विविध आवेदन को वि.आ. के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा जिनके साथ संख्या और फाइल करने के वर्ष का उल्लेख भी किया जाएगा।

9. **शिकायत, अपील, याचिका और पुनरीक्षण याचिका की संवीक्षा -** (1) प्रत्येक शिकायत, अपील अथवा पुनरीक्षण याचिका के फाइल किए जाने के पश्चात् रजिस्ट्रार द्वारा इसे संख्याकित किया जाएगा।

(2) यदि शिकायत, अपील अथवा पुनरीक्षण याचिका को फाइल करने में कोई त्रुटि है, तो ऐसी त्रुटियों की विशिष्टियों को लेखबद्ध किया जाएगा और पक्षकार अथवा उसके अभिकर्ताओं को इन त्रुटियों को पंद्रह दिन के भीतर दूर करने के लिए आग्रह करते हुए उन्हें त्रुटियों के बारे में सूचित किया जाएगा।

(3) यदि पक्षकार उल्लिखित त्रुटियों की शुद्धता से सहमत नहीं है तो मामले को समुचित आदेशों के लिए उपभोक्ता आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(4) दिए गए समय की समाप्ति के पश्चात्, मामले को समुचित आदेशों के लिए, इस तथ्य को ध्यान में लाए बिना कि त्रुटियों को दूर कर दिया गया है अथवा नहीं, उपभोक्ता आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(5) यदि रजिस्ट्रार द्वारा की गई आपत्तियां सारवान हैं और इनको इस उद्देश्य के लिए अनुज्ञात समय के भीतर दूर नहीं किया जाता है, तो इन दिवसों की गणना परि-सीमा की अवधि की गणना करने से अलग नहीं की जाएगी।

(6) धारा 36 की उप-धारा (2) के दूसरे परंतुक में किए गए उपबंध के अनुसार, शिकायत की ग्राह्यता पर विनिश्चय साधारणतया शिकायत की प्राप्ति की तारीख से इक्कीस दिनों की अवधि के भीतर किया जाएगा।

(7) यदि रजिस्ट्रार द्वारा कोई त्रुटि इंगित की जाती है तो उप-विनियम (6) में निर्दिष्ट इक्कीस दिनों की अवधि ऐसी त्रुटियों को दूर करने की तारीख से आरम्भ होगी।

(8) ऐसी सभी लंबित शिकायतें, अपीलें और पुनरीक्षण याचिकाएं, जो इन विनियमों के प्रवृत्त होने की तारीख तक ग्रहण नहीं की गई है और इक्कीस दिनों से अधिक की अवधि से ग्रहण किए जाने के लिए लंबित हैं, को उपभोक्ता आयोग द्वारा तत्काल और इन विनियमों के प्रवृत्त होने से इक्कीस दिनों की अवधि से अनधिक के भीतर ग्रहण किए जाने के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।

10. **नोटिस जारी करना -** (1) जब कभी उपभोक्ता आयोग द्वारा यथा स्थिति किसी शिकायत, अपील अथवा पुनरीक्षण याचिका, के संबंध में विरोधीपक्षकारों अथवा प्रत्यर्थियों को कोई नोटिस जारी करने का निर्देश दिया जाता है, साधारणतया ऐसा नोटिस तीस दिन की अवधि के लिए तथा प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के आधार तीस दिन से कम की अवधि के लिए जारी किया जाएगा।

(2) जब मामला सेवा को उपधारणा उत्पन्न होने के प्रश्न से संबंधित हो, तब तीस दिनों की अवधि का नोटिस अपेक्षित होगा।

(3) जब कभी नोटिसों को किसी कोरियर सेवा द्वारा तामील करने की वांछा की जाती है, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोरियर सेवा एक प्रतिष्ठित सेवा है।

(4) तामिल करने के प्रयोजनार्थ कोरियर की नियुक्ति करते समय, प्रतिभूति निक्षेप भी लिया जाए।

(5) विरोधीपक्षकार अथवा प्रत्यर्थी को नोटिस के साथ-साथ यथा स्थिति शिकायत की प्रतियां, अपील अथवा याचिका, के आधारों का ज्ञापन और फाइल किए गए अन्य दस्तावेज भी तामील जाएंगे।

(6) विरोधीपक्षकार अथवा प्रत्यर्थी के उपस्थित होने के पश्चात्, रजिस्ट्रार द्वारा कोई भी आवेदन अथवा दस्तावेज तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि उस पर इस बात का पृष्ठांकन नहीं हो कि इसकी प्रति अन्य पक्षकार को प्राप्त हो गई है।

11. **स्थगन** - (1) उपभोक्ता आयोग के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही यथासंभव शीघ्र तथा अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुसार संचालित की जाएगी।

(2) उपभोक्ता आयोग उसके द्वारा किए गए किसी स्थगन के कारणों को लेखबद्ध करेगा।

(3) स्थगन के लिए अनुरोध पर केवल आपवादिक परिस्थितियों में विचार किया जाएगा तथा इसके कारणों को लिखित रूप से लेखबद्ध किया जाएगा:

परंतु किन्हीं अन्य परिस्थितियों में स्थगन के लिए प्रार्थना के मामले में, उपभोक्ता आयोग, जब तक की पर्याप्त कारण न दर्शाए जाए, ऐसे स्थगन को मंजूर करने के लिए ऐसा खर्च, जो वह आवश्यक समझे, अधिरोपित कर सकेगा।

(4) अधिरोपित किया गया खर्च जैसा उपभोक्ता आयोग आदेश करे, अन्य पक्षकार अथवा पक्षकारों को उसके अथवा उनके व्ययों को चुकाने के लिए दिया जाएगा अथवा संबंधित उपभोक्ता आयोग द्वारा चलाए जाने वाले उपभोक्ता विधिक सहायता खाते में जमा की जाएगी।

(5) मामले को स्थगित करने संबंधी सभी आदेश उपभोक्ता आयोग के संबंधित अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे न कि कोर्ट मास्टर अथवा न्याय पीठ लिपिक द्वारा।

12. **न्यायपीठों द्वारा सुनवाई** – जहां धारा 47 की उपधारा (2) अथवा धारा 58 की उपधारा (2) के अधीन किए गए उपबंधों के अनुसार यथा स्थिति राज्य आयोग अथवा राष्ट्रीय आयोग, के अध्यक्ष द्वारा गठित किसी न्यायपीठ में ऐसा कोई सदस्य नहीं है जो न्यायिक पृष्ठभूमि से हो तथा विधि का कोई जटिल प्रश्न उत्पन्न होता है तथा ऐसे विधि के प्रश्न पर विनिश्चय करने के लिए कोई पूर्ववर्ती उदाहरण भी न हो, तो इस प्रकार गठित की गई न्यायपीठ मामले को यथा स्थिति राज्य आयोग अथवा राष्ट्रीय आयोग, के अध्यक्ष को अन्य न्यायपीठ, जिसमें अध्यक्ष भी एक सदस्य होंगे, का गठन करने के लिए निर्दिष्ट कर सकेगी।

13. **तर्क-** (1) तर्क, जहां तक संभव हो, संक्षिप्त होंगे तथा मुद्दे से प्रासंगिक होंगे।

(2) जहां किसी पक्षकार का प्रतिनिधित्व किसी काउंसेल द्वारा किया जाता है, वहां मामले के लिए तर्कों के लिए निर्धारित की गई तारीख से दो दिन पहले लिखित रूप में तर्क का ब्रीफ फाइल करना अनिवार्य होगा।

(3) ब्रीफ फाइल करने में व्यतिक्रम के मामले में, उपभोक्ता आयोग ऐसा खर्च अधिरोपित करेगा, जो वह आवश्यक समझे।

14. **समय-सीमा** - (1) धारा 40, 41, 50, 51, 60, 67 और धारा 69 के उपबंधों के अध्यधीन, निम्नलिखित मामलों में समय-सीमा की अवधि निम्नानुसार होगी: -

(i) पुनरीक्षण याचिका आदेश की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर फाइल की जाएगी;

(ii) धारा 61 के अधीन एकपक्षीय आदेश को अपास्त करने अथवा व्यतिक्रमी शिकायत को खारिज करने के लिए आवेदन तभी चलाने योग्य होगा जब इसे आदेश की तारीख अथवा आदेश की प्राप्ति की तारीख, जैसा भी मामला हो, से तीस दिन की अवधि के भीतर फाइल किया गया है;

(iii) धारा 40, 50 और धारा 60 के अधीन पुनर्विलोकन के लिए कोई आवेदन क्रमशः जिला आयोग, राज्य आयोग तथा राष्ट्रीय आयोग में आदेश की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर फाइल किया जाएगा;

(iv) ऐसे किसी आवेदन को जिसके संबंध में अधिनियम अथवा नियमों अथवा इन विनियमों में कोई समय-सीमा विनिर्दिष्ट नहीं की गई है, फाइल करने की समय-सीमा का वाद हेतुक की तारीख अथवा उसकी जानकारी की तारीख से तीस दिन होगी।

(2) अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन, उपभोक्ता आयोग, यदि इसके समाधान के लिए वैध और पर्याप्त कारण दिए गए हों, तो उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट कोई आवेदन अथवा कोई याचिका फाइल करने में हुए विलंब को माफ कर सकेगा।

15. **पुनर्विलोकन** - (1) यह पुनर्विलोकन के आधारों को स्पष्ट रूप से उपवर्णित करेगा।

(2) जब तक कि उपभोक्ता आयोग द्वारा अन्यथा आदेश न दिया गया हो, पुनर्विलोकन के लिए किसी आवेदन को, जहां तक व्यवहार्य हो, उन्हीं सदस्यों, जिन्होंने वह आदेश दिया हो जिसका पुनर्विलोकन किया जाना है, के बीच मौखिक तर्क के बिना परिचालित करते हुए निपटाया जाएगा।

16. **स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों की उपस्थिति -** (1) मान्यताप्राप्त उपभोक्ता संगठनों को उपभोक्ता आयोग के समक्ष श्रोतागण बनने का अधिकार प्राप्त है।

(2) किसी स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन को किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा किसी नोटरी पब्लिक द्वारा किसी न्यायिकेतर कागज अथवा यहां तक कि किसी सादे कागज पर भी विधिवत रुप से हस्ताक्षरित करते हुए विशेष मुख्तारनामा के माध्यम से प्राधिकृत किया जा सकता है।

(3) मुख्तारनामाधारक किसी अधिवक्ता को विनियोजित करने, यदि इसके लिए उसे प्राधिकृत किया गया हो, का पात्र होगा।

(4) कोई स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन अपनी इच्छानुसार किसी काउंसेल अथवा किसी वकील को विनियोजित कर सकता है अथवा उन नियमों, जिनके द्वारा यह शासित होता है, के अनुसार, अपने किसी पदधारी के माध्यम से स्वयं प्रतिनिधित्व कर सकता है।

(5) ऐसी किसी शिकायत के मामले में, जिसमें उपभोक्ता के साथ-साथ स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन एक शिकायतकर्ता है तथा विवाद व्यक्तिगत रूप से शिकायतकर्ता को प्रभावित करता है, तो वहां वह शिकायत को वापिस ले सकता है:

परंतु यदि मामले में अनुचित व्यापार व्यवहार अथवा प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार का मुद्दा अन्तर्वलित हो, तो कोई स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन मामले की कार्यवाही को जारी रख सकेगा भले ही शिकायतकर्ता शिकायत को वापस लेने की वांछा क्यों न करता हो।

(6) उपभोक्ता आयोग को उसके समक्ष होने वाली कार्यवाहियों में मुख्तारनामाधारक अथवा अप्राधिकृत अभिकर्ताओं के रुप में दलालों और कार्य में विघ्न डालने वाले व्यक्तियों से स्वयं को सुरक्षित करना होगा।

(7) जब कोई उपभोक्ता आयोग किसी प्राधिकृत अभिकर्ता को उसके समक्ष उपस्थित होने की अनुमति दे सकता है, किंतु वह प्राधिकृत अभिकर्ता कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने इस कार्य को एक वृति के रूप में उपयोग किया है:

परंतु कि यह उप-विनियम अधिवक्ताओं के मामले में लागू नहीं होगा।

(8) यदि कोई प्राधिकृत अभिकर्ता किसी भी समय किसी कदाचार या अन्य किसी अनाचार का दोषी पाया जाता है तो उसे उपभोक्ता आयोग के समक्ष उपस्थित होने से विवर्जित किया जा सकता है।

17. **एकपक्षीय अंतरिम आदेश** – यदि किसी पक्षकार द्वारा एकपक्षीय अंतरिम आदेश को बातिल करने अथवा उसमें उपातंरण करने अथवा उसे उन्मोचित करने के लिए कोई आवेदन फाइल किया जाता है, तो इस पर पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर विनिश्चय किया जाएगा तथा यदि ऐसे आवेदन पर पैंतालीस दिनों की अवधि के भीतर विनिश्चय नहीं किया जाता है तो आयोग को एकपक्षीय अंतरिम आदेश में विस्तार करने का अधिकार होगा।

18. **अंतिम आदेश -** (1) आदेश में शीर्ष पर दाहिने कोने में शिकायत फाइल करने की तारीख तथा आदेश की तारीख का उल्लेख किया जाएगा।

(2) आदेश के वाद शीर्षक में सभी पक्षकारों के नाम उनके पते सहित अन्तर्विष्ट होंगे।

(3) आदेश के मुख्य भाग में यह वांछनीय है कि शिकायतकर्ता अथवा विरोधीपक्षकार का उल्लेख करने के पश्चात्, उनके नामों, जैसा कि शीर्षक में दर्शाए गए हो, का उल्लेख किया जाए तथा तत्पश्चात् पक्षकारों का उल्लेख शिकायतकर्ता अथवा विरोधीपक्षकार संख्या 1 अथवा विरोधीपक्षकार संख्या 2 आदि के रूप में न किया जाए।

(4) वाद शीर्षक में स्पष्ट रूप से यह दर्शाया जाए कि अपीलकर्ता अथवा प्रत्यर्थी शिकायतकर्ता था अथवा विरोधीपक्षकार था।

(5) किसी मामले के निपटान करने के संबंध में उपभोक्ता आयोग का आदेश, जहां तक व्यवहार्य हो, संक्षिप्त और सुस्पष्ट हो तथा उच्च न्यायालयों के निर्णयों से लिए गए अनावश्यक दीर्घ उद्धरण अथवा अन्य से बचा जाए।

(6) जब किसी आदेश की प्रति किसी पक्षकार को भेजी जाती है, तो आदेश के अंतिम पृष्ठ पर इस प्रति को भेजने की रीति और भेजने की तारीख स्टांपित की जाएगी।

(7) उपभोक्ता आयोग सदैव तीस दिनों की अवधि के भीतर अंतिम आदेश पारित करेगा।

19. **मामले के संस्थित करने और निपटान के संबंध में विवरणी-** (1) उपभोक्ता आयोग से प्रत्येक मास अधिक से अधिक मामलों की निपटान की प्रत्याशा की जाती है ताकि मामलों की लंबित संख्या को न्यूनतम किया जा सके।

(2) जिला आयोग द्वारा राज्य आयोग को मामलों के संस्थित करने और निपटान के संबंध में एक आवधिक मासिक विवरणी भेजी जाएगी।

(3) राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग को मामलों के संस्थित करने और निपटान के संबंध में एक आवधिक मासिक विवरणी प्रस्तुत करेगा।

(4) इस विनियम में किसी भी बात के होते हुए भी राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष, किसी भी समय, किसी राज्य आयोग अथवा जिला आयोगों से इसके कार्यकरण के संबंध में कोई विवरणी अथवा जानकारी की मांग कर सकता है।

20. **अभिलेखों का परिरक्षण** - (1) शिकायत के मामले में, मूल आदेश पत्र के साथ मुख्य फाइलों के अन्तर्विष्ट करने वाले अभिलेखों को पांच वर्षों की अवधि के लिए परिरक्षित किया जाएगा।

(2) अपील और पुनरीक्षण याचिकाओं के अभिलेखों के मामले में, इन अभिलेखों को अपील अथवा पुनरीक्षण याचिका, जैसा भी मामला हो, के निपटान की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए परिरक्षित किया जाएगा।

(3) उपभोक्ता शिकायत, अपील अथवा पुनरीक्षण याचिका, जैसा भी मामला हो, के निपटान के ठीक पश्चात्, पक्षकारों को अतिरिक्त प्रतियां दी जाएंगी, जो इन प्रतियों को अपील अथवा पुनरीक्षण याचिका फाइल करने के लिए उपयोग कर सकेंगे तथा उस मामले में नीचे आयोगों से अभिलेखों की मांग करने की आवश्यकता से अभिमुक्त किया जा सकता है।

(4) रजिस्ट्रार, ऐसे मामलों में, जिनमें पक्षकार मामले के अंतिम निपटान के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होते हैं, अंतिम आदेश की प्रमाणित प्रति को अग्रेषित करते समय पक्षकारों को अतिरिक्त प्रतियां प्राप्त करने की व्यवस्था करने के लिए सूचित करेगा।

(5) पक्षकार द्वारा अभिलेखों की प्राप्ति के प्रयोजनार्थ कम-से-कम एक मास की अवधि का समय दिया जाएगा और इसमें व्यतिक्रम के मामले में, अतिरिक्त प्रतियों को निकाल दिया जाएगा।

21. **प्रमाणित प्रति** - (1) अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन यथाअपेक्षित, पक्षकारों को अंतिम आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायी जाएगी।

(2) यदि कोई पक्षकार अतिरिक्त प्रति की अपेक्षा करता है, उसे, पृष्ठों की संख्या पर विचार किए बिना, बीस रूपये के संदाय पर रजिस्ट्री द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित प्रति जारी की जाएगी।

(3) किसी आदेश की प्रमाणित प्रति पर स्पष्ट रूप से निःशुल्क प्रति जारी करने की तारीख, आवेदन की तारीख, प्रति तैयार करने की तारीख और प्रति को आवेदक को अग्रेषित करने की तारीख विनिर्दिष्ट की जाएगी।

(4) उपभोक्ता आयोग की फाइल पर किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने का इच्छुक कोई पक्षकार बीस रूपये प्रति प्रति की प्रमाणन फीस का संदाय करके यह प्रति प्राप्त कर सकता है:

परंतु यदि ऐसा कोई दस्तावेज, जिसकी प्रमाणित प्रति की मांग की गई है, के पृष्ठों की संख्या पांच पृष्ठों से अधिक है, प्रत्येक पृष्ठ के लिए बीस रूपये की फीस से ऊपर एक रूपये प्रति पृष्ठ की अतिरिक्त राशि प्रभारित की जाएगी।

(6) उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित किए गए किसी प्रकीर्ण आदेश की प्रमाणित प्रति पांच रूपये प्रति प्रति के संदाय पर प्रदाय की जाएगी।

22. **अभिलेखों का निरीक्षण** – कोई पक्षकार अथवा उनके अभिकर्ता फीस के रूप में दस रूपये के संदाय पर आवेदन फाइल करके उनके द्वारा फाइल किए गए किसी मामले के अभिलेखों का निरीक्षण कर सकता है।

23. **आपराधिक शिकायत फाइल करना** – जब कभी धारा 38 की उप-धारा (10) के अधीन उपभोक्ता आयोग द्वारा कोई शिकायत दायर की जानी अपेक्षित है, उपभोक्ता आयोग अपने रजिस्ट्रार को ऐसी शिकायत दायर करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है।

24. **व्यवहार निदेश** – राष्ट्रीय आयोग शिकायतों, नोटिसों, विवरणियों, कलेक्टर आदि को जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्र के प्ररूप विहित करने सहित उपभोक्ता आयोग के समक्ष मामलों के उचित संचालन के लिए, समय-समय पर, यथाआवश्यक व्यवहार निदेश जारी करने का पात्र होगा।

"25. **पर्चा याददाश्त** – जहां कोई पक्षकार व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होता है और निरक्षर है, तो कोर्ट मास्टर अथवा न्यायपीठ लिपिक उसे लिखित रूप से सुनवाई की अगली तारीख उपलब्ध कराएगा।

26. **प्रकीर्ण -** (1) उपभोक्ता आयोग के समक्ष सभी कार्यवाहियों में, पक्षकारों और उनके अभिकर्ताओं द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के उपबंधों के उपयोग से बचने के प्रयास किए जाएंगे:

परंतु कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के उन उपबंधों को लागू किया जा सकेगा जिन्हें अधिनियम में अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट किया गया है।

(2) प्रत्येक राज्य आयोग और प्रत्येक जिला आयोग उसके कम्प्यूटरीकरण और नेटवर्किंग के लिए कदम उठाएगा।

(3) उपभोक्ता आयोग व्यक्तिगत रूप से उपस्थित सभी पक्षकारों के प्रति उचित आदर और शिष्टाचार का परिचय देगा तथा पक्षकारों की सुविधा के लिए सभागार में पृथक स्थान उपलब्ध कराएगा।

(4) उपभोक्ता आयोग पक्षकारों पर अधिवक्ताओं के विनियोजन के लिए जोर नहीं देगा।

(5) दस्तावेजों के निरीक्षण और प्रमाणित प्रतियों के प्रदाय के लिए संग्रहीत की गई फीस को नियमों द्वारा केंद्रीय सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट कोई शिकायत फाइल करने के लिए फीस जमा करने के प्रयोजनार्थ अनुरक्षित किए गए खाते में जमा किया जाएगा।

(6) वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों, विधवाओं और गम्भारी बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा अथवा उनके विरूद्ध फाइल किए गए मामलों को पूर्विकता के आधार पर सूचीबद्ध किया जाएगा और निपटाया जाएगा।

एस. हनुमंथा राव, संयुक्त पंजीयक

[विज्ञापन-III/4/असा./136/2020-21]

NATIONAL CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th July, 2020

F. No. A-105/CCPR/NCDRC/2020.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 103 of the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019) and in supersession of the Consumer Protection Regulations, 2005, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the National Consumer Disputes Redressal Commission, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:---

1. **Short title and commencement.-**(1) These regulations may be called the Consumer Protection (Consumer Commission Procedure) Regulations, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.-** In these regulations, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019);

(b) “agent” means a person duly authorised by a party to present any complaint, appeal, revision or to file written version or to file any written submissions and address or plead, as the case may be, for and on behalf of such a party before the Consumer Commission;

(c) "Consumer Commission" means a District Consumer Disputes Redressal Commission, a State Consumer Disputes Redressal Commission or the National Consumer Disputes Redressal Commission;

(d) "Registrar" means the head of the ministerial establishment of the Consumer Commission and exercising such powers and functions as are conferred upon him by the President of the Consumer Commission;

(e) "rules" means the rules made under the Act;

(f) "section" means a section of the Act;

(g) words and expressions used in these regulations and not defined herein, but defined either in the Act or in the rules shall have the same meaning respectively assigned to them either in the Act or in the rules, as the case may be.

3. **Arrangements in Consumer Commission**.— (1) A Consumer Commission, being not a regular court, shall have the arrangements as to depict it distinct from a court.

(2) In the hall in which the Consumer Commission shall hear the parties, the dais may not be kept more than 30 centimetre in height than the place earmarked for the parties to occupy.

(3) At the dais of the hall, the President and the members of the Consumer Commission shall use the same type of chairs at the same level and these chairs need not have high backs.

(4) The complainant and the opposite party can appear in person or through agent or through counsel.

4. **Dress code.-**(1) The President and members of every Consumer Commission while presiding over the Benches,-

(a) shall wear simple and sober dress;

(b) shall not wear-

(i) flashy dress or dress displaying any affluence;

(ii) Jeans or T-shirts;

(iii) such dress, as may be prescribed for judges of the High Court or the District Court.

(2) The complainant, opposite party, counsel or agent shall also follow the dress code as per clause (a) and sub-clauses (i) and (ii) of clause (b) of sub-regulation (1).

5. **Hearing hours.-**Subject to the provisions of any rules made in this behalf, the normal working hours of the Consumer Commission for hearing matters shall be from 10.30 a.m. to 1.00 p.m. and 2.00 p.m. to 4.30 p.m. on all working days of the Central Government in the case of the National Commission and on all working days of the State Government in the case of the State Commission and the District Commission.

6. **Cause List.-**(1) Tentative Cause List of cases to be heard by the Consumer Commission in the following entire week shall be made ready before the close of the working hours of the preceding week and displayed on the notice board and shall also be hosted on the website of the Consumer Commission.

(2) The Final Cause List of cases to be heard on the following day shall be made ready before the close of the working hours of the preceding day and displayed on the notice board and also hosted on the website.

(3) The Cause List shall be split into such different parts as may be decided by the Hon'ble President of the National Commission from time to time.

(4) Every cause list shall contain the following particulars, namely:-

(i) Serial Number;

(ii) Number of the matter;

(iii) Names of the parties;

(iv) Name of the party or Counsel or agent appearing.

(5) If a date of hearing is given in the presence of parties or their agents, it shall not be a ground for non-appearance for the reason that the cause list for the concerned date does not show the matter or contains incorrect entry or there is omission of the particulars of the matter.

7. **Institution of complaints, appeals and revision petitions.-**(1) Where a Complaint is filed in the District Commission, it shall be filed in three sets with additional sets equal to the number of opposite parties.

(2) Where the Complaint or Appeal or Revision petition is filed before the State Commission, it shall be filed in three sets or such number of sets as may be decided by the President of the State Commission from time to time, with approval of the President of the National Commission, with additional sets equal to the number of opposite parties or respondents.

(3) Where a Complaint or Appeal or Revision Petition is filed in the National Commission, it shall be filed in two sets and the sets for the Opposite parties or respondents shall be filed within a week of admission of such case or issuance of notice to the opposite parties.

(4) Every complaint shall clearly contain particulars of dispute and the relief claimed and shall also be accompanied by copies of such documents as are necessary to prove the claim made in the complaint.

8. **Nomenclature to be given to the complaints, appeals etc.** -A complaint shall be referred to as Consumer Complaint or C.C., an appeal shall be referred to as First Appeal or F.A., Revision Petition as R.P., Execution Application as E.A., Appeal in Execution matters as A.E., Transfer Application as T.A., Review Application as R.A., Interim Application as I.A. and Miscellaneous Application as M.A., followed by the number and the year of filing.

9. **Scrutiny of complaint, appeal, petition and revision petition**.-(1) Every complaint, appeal, or revision petition shall after it is filed be numbered by the Registrar.

(2) If there is any defect in the filing of the complaint, appeal or revision petition, the particulars of such defects shall be recorded and the party or his agents shall be informed of the defects asking them for removing the defects within fifteen days.

(3) In case the party disputes the correctness of the defects pointed out, the matter shall be placed before the Consumer Commission for appropriate orders.

(4) After the expiry of the time given, the matter shall, irrespective of the fact as to whether the defects have been removed or not, be placed before the Consumer Commission for appropriate orders.

(5) If the objections raised by the Registrar are substantial and are not removed within the time allowed for the purpose, those days shall not be excluded for counting the period of limitation.

(6) The admissibility of the complaint shall ordinarily be decided within twenty-one days from the date on which the complaint is received as provided in the second proviso to sub-section (2) of section 36.

(7) In case any defect is pointed out by the Registrar, twenty-one days referred to in sub-regulation (6) shall commence from the date on which such defect was removed.

(8) All pending complaints, appeals and revision petitions which have not come up for admission till the date of commencement of these regulations and are pending for admission for more than twenty-one

days shall be listed immediately by the Consumer Commission for admission and not later than twenty-one days from the date of commencement of these regulations.

10. **Issue of notice.-**(1) Whenever the Consumer Commission directs the issuance of a notice in respect of a complaint, appeal or revision petition, as the case may be, to the opposite parties or respondents, ordinarily such notice shall be issued for a period of thirty days and depending upon the circumstances of each case, even for less than thirty days.

(2) When there is a question of raising presumption of service, thirty days' notice shall be required.

(3) Whenever notices are sought to be effected by a courier service, it shall be ascertained that the courier is of repute.

(4) While appointing the courier for the purpose of effecting service, security deposit may also be taken.

(5) Along with the notice, copies of the complaint, memorandum of grounds of appeal or petition, as the case may be, and other documents filed shall be served upon the opposite party or respondent.

(6) After the opposite party or respondent has put in appearance, no application or document shall be received by the Registrar unless it bears an endorsement that a copy thereof has been served upon the other side.

11. **Adjournment.**-(1) Every proceeding before a Consumer Commission shall be conducted as expeditiously as possible and as per the requirements of the Act.

(2) The Consumer Commission shall record the reasons for any adjournment made by it.

(3) Request for adjournment shall be entertained only in exceptional circumstances and for reasons to be recorded in writing:

Provided that in case of a prayer for adjournment under any other circumstances, the Consumer Commission may, unless sufficient cause is shown, impose such cost, as it deems necessary, for granting such adjournment.

(4) The cost imposed may be given to the other party or parties to defray his or their expenses or be deposited in the Consumer Legal Aid Account to be maintained by the respective Consumer Commission, as the Consumer Commission may order.

(5) All orders adjourning the matter shall be signed by the concerned President and members of the Consumer Commission and not by the Court Master or Bench Clerk.

12. **Hearing by Benches**-Where a Bench, constituted by the President of the State Commission or the National Commission as provided under sub-section (2) of section 47 or sub-section (2) of section 58, as the case may be, does not have a member with judicial background and any complex question of law arises and there is no precedent to decide the law point, the Bench so constituted may refer the matter to the President of the State Commission or the National Commission, as the case may be, to constitute another Bench of which the President shall be a member.

13. **Arguments**-(1) Arguments should be as brief as possible and to the point at issue.

(2) Where a party is represented by a counsel, it shall be mandatory to file a brief of written arguments two days before the matter is fixed for arguments.

(3) In case of default to file briefs, the Consumer Commission shall impose such cost as it deems necessary.

14. **Limitation**-(1) Subject to the provisions of sections 40, 41, 50, 51, 60, 67 and 69, the period of limitation in the following matters shall be as follows:-

(i) Revision Petition shall be filed within ninety days from the date of receipt of certified copy of the order;

(ii) application for setting aside the ex-parte order under section 61 or dismissal of the complaint in default shall be maintainable if filed within thirty days from the date of the order or date of receipt of the order, as the case may be;

(iii) an application for review under sections 40, 50 and 60 shall be filed to the District Commission, the State Commission and the National Commission, respectively, within thirty days from the date of the order;

(iv) the period of limitation for filing any application for which no period of limitation has been specified in the Act or the rules or in these regulations shall be thirty days from the date of the cause of action or the date of knowledge.

(2) Subject to the provisions of the Act, the Consumer Commission may condone the delay in filing an application or a petition referred to in sub-regulation (1) if valid and sufficient reasons to its satisfaction are given.

15. **Review**.-(1) It shall set out clearly the grounds for review.

(2) Unless otherwise ordered by the Consumer Commission, an application for review shall be disposed of by circulation without oral arguments, as far as practicable between the same members who had delivered the order sought to be reviewed.

16. **Appearance of Voluntary Consumer Organisations**.- (1) Recognised Consumer Organisations have a right of audience before the Consumer Commission.

(2) An authorisation of a Voluntary Consumer Organisation may be by way of special power of attorney executed on a non-judicial paper or even on plain paper duly attested by a Gazetted Officer or a Notary Public.

(3) The Power of Attorney holder shall be entitled to engage a counsel, if authorised to do so.

(4) A Voluntary Consumer Organisation can engage a counsel or an advocate of its choice or it can itself represent through one of its office bearers as per the rules governing it.

(5) In case of a complaint where the Voluntary Consumer Organisation is a complainant along with the consumer himself and the dispute affects the complainant individually, he can withdraw the complaint:

Provided that if the issue involves unfair trade practice or restrictive trade practice a Voluntary Consumer Organisation may continue to proceed with the complaint even if the complainant wishes to withdraw the same.

(6) A Consumer Commission has to guard itself from touts and busybodies in the garb of power of attorney holders or unauthorized agents in the proceedings before it.

(7) While a Consumer Commission may permit an authorised agent to appear before it, but authorised agent shall not be one who has used this as a profession:

Provided that this sub-regulation shall not apply in case of advocates.

(8) An authorised agent may be debarred from appearing before a Consumer Commission if he is found guilty of misconduct or any other malpractice at any time.

17. **Ex-parte interim order**- If an application for vacating or modifying or discharging the ex parte interim order is filed by any of the parties, it shall be decided within forty-five days and the Commission shall have the discretion to extend the ex parte interim order if such application is not decided within forty-five days.

18. **Final order**.-(1) An order on the top right hand corner shall show as to when the complaint was filed and the date of the order.

(2) The cause title of the order shall contain the names of all the parties with their addresses.

(3) In the body of the order it is desirable that after mentioning the complainant or the opposite party, their names as shown in the title be mentioned and parties thereafter may not be mentioned as complainant or opposite party No.1 or opposite party No.2, etc.

(4) The cause title shall also clearly show if the appellant or respondent was the complainant or opposite party.

(5) The order of a Consumer Commission disposing of a matter shall be as short and precise as practicable and unnecessary long quotations from the judgments of the higher courts or otherwise shall be avoided.

(6) When a copy of the order is sent to a party, the mode by which it is sent and the date on which it is sent shall be stamped on the last page of the order.

(7) The Consumer Commission shall pass final order invariably within thirty days.

19. **Return on institution and disposal of cases**.- (1) A Consumer Commission is expected to dispose of maximum number of cases every month so as to keep the pendency to a bare minimum.

(2) A periodic monthly return of institution and disposal of cases shall be sent by the District Commissions to the State Commission.

(3) The State Commission shall submit a periodic monthly return of institution and disposal of cases to the National Commission.

(4) Notwithstanding anything contained in this regulation, the President of the National Commission may, at any time, call for any return or information relating to its functioning from a State Commission or District Commissions.

20. **Preservation of records**. -(1) In the case of complaint, the record containing main files with original order sheet shall be preserved for a period five years.

(2) In the case of records of appeal and revision petitions, it shall be preserved for three years from the date of disposal of the appeal or revision as the case may be.

(3) Immediately after the consumer complaint, appeal or revision petition, as the case may be, is disposed of, extra sets shall be given to the parties who may use the same for filing of appeal or revision petition and in that case the necessity to summon the record from the Commissions below can be dispensed with.

(4) The Registrar shall inform the parties while forwarding the certified copy of the final order, where they do not appear in person at the time of finally disposing of the matter to arrange to collect the extra sets.

(5) A period of at least one month shall be given for the purpose of collection of records by the party and in case of default the extra sets shall be weeded out.

21. **Certified copy**.-(1) A copy of the final order is to be given to the parties free of cost as required under the Act and the rules made thereunder.

(2) In case a party requires an extra copy, it shall be issued to him duly certified by the Registry on a payment of rupees twenty irrespective of number of pages.

(3) A certified copy of an order shall clearly specify the date when free copy was issued, date of application, date when the copy was made ready and the date when it was so delivered to him.

(4) Any party desiring to get a certified copy of any document on the file of the Consumer Commission, may get the same on payment of certification fee of twenty rupees per copy:

Provided that if any such document of which certified copy is sought, is over and above five pages, an extra amount of one rupee per page shall be charged over and above the fee of rupees twenty.

(6) Certified copy of any miscellaneous order passed by the Consumer Commission shall be supplied on payment of rupees five per copy.

22. **Inspection of records**.-Parties or their agents can inspect the records of matter filed by them by filing an application on payment of ten rupees as fee.

23. **Filing of criminal complaint**.-Wherever a complaint is required to be filed by the Consumer Commission under sub-section (10) of section 38, the Consumer Commission may authorise its Registrar to file the complaint.

24. **Practice Directions**.- The National Commission shall be entitled to issue practice directions from time to time as may be necessary for the proper conduct of the cases before Consumer Commission including prescribing forms for complaints, notices, returns, certificate to be issued to the collector and the like.

25. **Parcsha Yad-dast**.- Where a party appears in person and is illiterate, the Court Master or Bench Clerk shall give to that party the next date of hearing in writing.

26. **Miscellaneous**.-(1) In all proceedings before the Consumer Commission, endeavour shall be made by the parties and their agent to avoid the use of provisions of Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908):

Provided that the provisions of the Code of Civil Procedure, 1908 may be applied which have been referred to in the Act or in the rules made thereunder.

(2) Every State Commission and every District Commission shall take steps for its computerisation and networking.

(3) The Consumer Commission shall give proper respect and courtesy to the parties who appear in person and shall provide separate accommodation in the Hall for the convenience of the parties.

(4) The Consumer Commission shall not insist upon the parties to engage advocates.

(5) The Fees collected for inspection of the documents and supply of certified copies shall be deposited in the account maintained for the purpose of depositing fee for filing a complaint as prescribed by the Central Government by rules.

(6) The cases filed by or against the senior citizens, physically challenged, widows and persons suffering from serious ailments shall be listed and disposed of on a priority basis.

S. HANUMANTHA RAO, Jt. Registrar

[ADVT.-III/4/Exty./136/2020-21]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2020.07.24 20:50:04 +05'30'